"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2013—भाद्र 25, शक 1935

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-27/2012/वाक.(पं.)/पांच (65).—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24-02-1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (52) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (53) जोड़ा जाता है :—

(53) राज्य सरकार, रायपुर विकास प्राधिकरण की विशिष्ट योजनाएं क्रमशः "इन्द्रप्रस्थ फेस-2, रायपुरा", विशेषीकृत व्यवसायिक क्षेत्र "रायपुरा" एवं "गंजमंडी" क्षेत्र विकास योजना, रायपुर के तहत् रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मूल भूमिस्वामी के मध्य छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 56 के अंतर्गत प्रावधानित अनुबंध को प्रभावी किये जाने हेतु निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करती है.

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-27/2012/वाक.(पं.)/पांच (65).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-27/2012/वाक.(पं.)/पांच (65), दिनांक 13-09-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 13th September 2013

NOTIFICATION

No. F 10-27/2012/CT(R)/V (65).—In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in to the notification No. 818-635-V-S.R., dated 24-02-1975 published under section 79 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said notification in "The Table of Registration Fees" under the sub-heading "exemption and reduction" item No. (53) shall be added after item No. (52), namely :—

(53) State Government hereby remits the registration fees chargeable on instruments executed, between origional owner of the land and the Raipur Development Authority, under the Special Schemes of "Indraprastha Phase-2 Raipura" Specialised Commercial Zone "Raipura" and "Ganj Mandi Area Development Scheme" Raipur, for giving effect to the agreement provided in section 56 of the Chhattisgarh Nag r Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

2. This Notification shall [illegible] effect from the [illegible] of its publication in the Official Gazette.

By [illegible] in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-27/2012/वाक.([illegible] स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, रायपुर विकास प्राधिकरण की विशिष्ट योजनाएं क्रमश: "इन्द्रप्रस्थ फेस-2, रायपुरा", विशेषीकृत व्यवसायिक क्षेत्र "रायपुरा" एवं "गंजमंडी" क्षेत्र विकास योजना, रायपुर के तहत् रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मूल भूमिस्वामी के मध्य छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 56 के अन्तर्गत प्रावधानित अनुबन्ध को प्रभावी किये जाने हेतु निष्पादित विलेखों पर [illegible] करती है.

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में [illegible]

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-27/2012/वाक.(पं.)/पांच (66).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-27/2012/वाक.(पं.)/पांच (66), दिनांक 13-09-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 13th September 2013

NOTIFICATION

No. F 10-27/2012/CT(R)/V (66).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby remits stamp duty, chargeable on instruments executed, between origional owner of the land and the Raipur Development Authority, under the Special Schemes of "Indraprastha Phase-2, Raipura" Specialised Commercial Zone "Raipura" and "Ganj Mandi Area Development Scheme" Raipur, for giving effect to the agreement provided in section 56 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

2. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of **Chhattisgarh,**
A. P. TRIPATHI, **Joint Secretary.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.